(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग– **III** खंड 4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 156 **नई दिल्ली**, 10 जून 2010

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार खुले और ढके हुए भंडारण क्षेत्र के लिए भंडारण प्रभारों की वसूली हेतु मुरूगांव पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करता है।

(रानी जाधव)

अध्यक्षा

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/9/2008–एमओपीटी

मुरूगांव पत्तन न्यास --- आवेदक

आदेश

(मई 2010 के 14वें दिन पारित)

यह मामला मुरूगांव पत्तन न्यास (एमओपीटी) से इसके भंडारण प्रभारों और प्लॉटों पर किराये की वसूली के लिए प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 18 फरवरी 2008 से संबंधित है।

2. इसके भंडारण प्रभारों और प्लॉटों पर किराये की वसूली के लिए एमओपीटी का प्रस्ताव दिसम्बर 2008 में एमओपीटी द्वारा दाखिल किए गए सामान्य संशोधन प्रस्ताव से पहले दाखिल किया गया था। तदनुसार, एमओपीटी ने बाद में दाखिल किए गए संशोधित सामान्य संशोधन प्रस्ताव में प्रस्तावित प्रावधानों को शामिल किया था। हालांकि, भंडारण प्रभारों और प्लॉट किराये की वसूली के लिए एमओपीटी के प्रस्ताव पर अलग से कार्यवाही की गई है, परन्तु यह पत्तन के दरमान का भाग होगा। वैसे, इसके भंडारण प्रभारों और प्लॉटों पर किराये की वसूली के लिए एमओपीटी का प्रस्ताव एमओपीटी के सामान्य संशोधन प्रस्ताव में पारित आदेश में शामिल किया गया है।

3. परिणामस्वरूप, भंडारण प्रभारों और प्लॉटों पर किराये की वसूली के लिए एमओपीटी का प्रस्ताव इसके सामान्य संशोधन मामले में पारित आदेश के मद्देनजर यथा निपटान किया गया लिया गया है।

(रानी जाधव)

अध्यक्षा